बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं0:- 6455699 / पटना, दिनांक :- 29/10/2026

संचिका सं0-R-503/18/2024-SECTION 14-RDD-RDD

श्री संजय कुमार राय (अनुक्रमांक-113360), तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, भोरे (गोपालगंज) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलागंज (गया) के विरूद्ध पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रा०नि०क्षेत्र सं०-13 के त्रुटिपूर्ण प्रतीक आवंटन करने, मतपत्र मुद्रण के पूर्व प्रपत्र-9 की तैयारी आयोग द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुरूप नहीं करने एवं त्रुटिपूर्ण प्रतीक आवंटन की जानकारी कमिशनिंग के दौरान भी नहीं होने तथा मतदान के दिन उक्त मामला संज्ञान में आने से निर्वाची पदाधिकारी के कार्यों के प्रति लापरवाही के कारण पुनर्मतदान के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-784 दिनांक-18.04.2024 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, गायघाट, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1271 दिनांक-20.09.2024 के माध्यम से श्री राय द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र में वर्णित आरोप एवं श्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-3407655 दिनांक-02.12.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-323 दिनांक-07.02.2026 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिस पर विभागीय निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-5342745 दिनांक-18.03.2026 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-1967 दिनांक-14.05.2026 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का मंतव्य प्राप्त है ।

3. श्री संजय कुमार राय के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र, श्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि निर्वाची पदाधिकारी की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि मतपत्र मुद्रण के पूर्व प्रपत्र-09 की तैयारी आयोग द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुरूप की गयी हो तथा बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों के प्रतीक आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं हो । प्रूफ रीडिंग हेतु किसी सहायक निर्वाची पदाधिकारी को डिलीगेट कर देने से उनकी जिम्मेवारी से वे स्वयं बच नहीं सकते है ।

4. इस प्रकार श्री संजय कुमार राय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसकी वृहत एवं गहन जाँच की आवश्यकता है । तदालोक में श्री राय के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

5. उक्त के आलोक में श्री संजय कुमार राय (अनुक्रमांक-113360), तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, भोरे (गोपालगंज) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलागंज (गया) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु श्री भानु प्रकाश, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करने हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को निदेश दिया जाता है ।

6. एतद् द्वारा श्री संजय कुमार राय को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

7. अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। **आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से
29/10/26
(विभाकर कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 6455699 / पटना, दिनांक :- 29/10/2026

संचिका सं0- R-503/18/2024-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
29/10/26
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 6455699 / पटना, दिनांक :- 29/10/2026

संचिका सं0- R-503/18/2024-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज एवं गया/उप विकास आयुक्त, गोपालगंज एवं गया/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज एवं गया/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/ श्री भानु प्रकाश, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु)/श्री संजय कुमार राय (अनुक्रमांक-113360), तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, भोरे (गोपालगंज) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलागंज (गया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं संबंधित अभिलेख/कागजात की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुशासनिक कार्यवाही तुरंत आरंभ कर दें तथा अपना प्रतिवेदन शीघ्र देंगे एवं कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक संलग्न कर अपना निष्कर्ष तीन प्रतियों में विभाग/सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सरकार का पक्ष रखने हेतु वे जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करते हुए पत्र का तामिला कराकर अनुशासनिक कार्यवाही में उपस्थित होने का निदेश देंगे ।
29/10/26
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 6455699 / पटना, दिनांक :- 29/10/2026

संचिका सं0- R-503/18/2024-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपिः- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

29/10/26
अवर सचिव